

कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक दिनांक


आवश्यक सूचना

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जो होल्डिंगधारी अग्री SAF फार्म भरकर कार्यालय में जमा नहीं किये हुए वैसे होल्डिंगधारी अपना SAF फार्म दिनांक 31.08.2017 तक कार्यालय में जमा कर होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर राक्षे है साथ ही वैसे होल्डिंगधारी जो SAF फार्म भर चुके हैं परन्तु उनके द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है वे भी अपना टैक्स दिनांक 31.08.2017 तक नगर निगम वन्यालय एवं उपर्योग संपर्क टेक प्राठ लिंग के तहसीलदार के पास जमा कर राक्षते हैं। अन्यथा रामग गुजरात के बाहर आवारीय भवन पर 2000 एवं व्यवसायिक भवन पर 5000 रु. टैक्स जुर्माना होल्डिंग टैक्स के राख चरूली की जाएगी।


कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक २८१४ दिनांक ४/९/२०१७

प्रतिलिपि :— नगर परिषद कार्यालय सूचना पर पर राट कर सूखनार्थ एवं अवलोकनात् / Website <http://udhd.gov.in> पर अवलोकन किया जा सकता है।


कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम